SAEC-Kit

(Sexual Assault Evidence Collection Kit)
for
INVESTIGATION OFFICER

Police Headquarters
Atal Nagar, Nava Raipur
(Technical Services)

Sexual Assault Evidence Collection (SAEC) - Kit
घटनास्थल से डी.एन.ए. सैंपल के संकलन, संरक्षण और परिवहन के संबंध में विवेचनाधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका

1. परिचय –

घटनास्थल की पहचान सुनिश्चित करने और विवेचना से लेकर न्यायालय में में प्रकरण को प्रस्तुत करने तक विशेष सावधानी एवं सतर्कता के साथ भौतिक और जैविक साक्ष्यों का संकलन और उनका दस्तावेजीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अपराध का निराकरण, घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्यों को इकट्ठा करने निर्भर करता है। किसी भी अपराध की विवेचना में घटनास्थल को सुरक्षित करना, उसका फिल्मांकन करना, सही तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण करना, वहां से सभी यथोचित साक्ष्यों को संकलित, पैकिंग, और संरक्षित कर उनका सटीक दस्तावेजीकरण करते हुए घटनास्थल से सुरक्षित तरीके से परिवहन कर लाना समाहित है। अधिकांश मामलों में घटनास्थल पर पहुँचकर सबसे पहले उसे सुरक्षित करने और उसका निरीक्षण कर कौन से साक्ष्य अपराध की विवेचना और उसके विचारण में सहायक होंगे, इसे तय करने में एक विवेचनाधिकारी प्रमुख भूमिका निभाता है।

अपराध विवेचना हेतु विवेचनाधिकारियों के लिए निम्नाँकित दिशानिर्देश हैं –

2. घटनास्थल को सुरक्षित करना –

- सबसे पहले जिज्ञासु प्रवृत्ति अथवा गलत उद्देश्य वाले व्यक्तियों से घटनास्थल को सुरक्षित करने के लिए 'पुलिस' लिखी हुई टेप से उसे घेरना चाहिए।
- साक्ष्यों को संदूषित होने से बचाने के लिए पुलिस अधिकारी को अनिवार्य रूप से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकना चाहिए।
- साक्ष्यों के संदूषण की संभावनाओं से बचाने के लिए विवेचनाधिकारी को सुरक्षात्मक वस्त्रों और दस्तानों को पहनना चाहिए।
- घटनास्थल की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी इंसान अथवा जानवर के आवागमन को नियंत्रित करना चाहिए।
- घटनास्थल की निजता एवं गोपनीयता को बनाये रखने के लिए मीडियाकर्मी/प्रैस वालों को आने की अनुज्ञा नहीं देनी चाहिए।

3. प्रारंभिक निरीक्षण –

- संपूर्ण घटनास्थल का निरीक्षण करें।
- घटनास्थल में अधिकृत व्यक्तियों के आवागमन हेतु मार्ग निश्चित करें।
- घटनास्थल की प्रारंभिक सीमा का मूल्यांकन करें।
- घटनास्थल में हुए अपराध का पूर्वाभ्यास और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया तय करें।

- टूटने और नष्ट होने वाले साक्ष्यों की पहचान कर और उन्हें प्राथमिकतानुसार सुरक्षित करें।
- घटनास्थल जैसा दिखाई दे रहा है, उसका उल्लेख करें।
- नष्ट होने वाले साक्ष्यों की सूची बनायें और उनका फिल्मांकन कर उन्हें संकलित करें।
- घटना की शुरूआत कहां से हुई, इसका पता लगाकर घटनाओं का अनुक्रम तय करें। घटनाक्रम व गवाहों के बयानों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए।

4. संदूषण नियंत्रण –

घटनास्थल पर व्यक्तियों और साक्ष्यों की विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए संदूषण नियंत्रण और संदूषण से बचाव अत्यंत आवश्यक होता है –

- घटना की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या को सीमित करें।
- घटनास्थल पर आवागमन हेतु तय किए गए मार्गों का ही इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए।
- स्वयं की सुरक्षा एवं घटनास्थल के संदूषण की संभावनाओं को कम करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE Suit) का इस्तेमाल करें।
- जैविक साक्ष्यों के संकलन हेतु डिस्पोजेबल डिवाइस का इस्तेमाल करें।

5. दस्तावेजीकरण –

- विवेचनाधिकारी दस्तावेजों का स्थाई रिकॉर्ड तैयार करें।
- घटनास्थल के प्रारंभिक निरीक्षण का पुनर्मूल्यांकन कर तय करें कि किस तरह के दस्तावेजीकरण जैसे फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, स्केच, मापतौल, नोटिंग आदि की जरूरत है।
- बिना निष्कर्ष, विचार और विष्लेषण के केवल तथ्यात्मक नोट और रिपोर्टको क्रमवार तैयार किया जाये।
- विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का प्रारंभिक निरीक्षण करते ही उसके विषय में सामान्य विवरण देना चाहिए।

6. घटनास्थल का नक्शा तैयार करना –

- घटनास्थल का भौतिक नक्शा तैयार करें, किंतु गंभीर मामलों में स्केल की सहायता से मापजोख करना चाहिए, दूरी की सही माप लेनी चाहिए। अनावश्यक चीजों को छोड़ देना चाहिए।

- एक अथवा दो निश्चित स्थिर स्थल अवश्य दर्शाये जाने चाहिएं। ऐसा करना साक्ष्यों (रक्त चिन्हों, वाहन के ट्रैक चिन्हों आदि मुख्य स्थानों/सामग्रियों) को अभिनिश्चित करने में मदद करेगा।
- दिशासूचक यंत्र से उत्तर दिशा को आवश्यक रूप से ज्ञात कर दर्शाना चाहिए।
- नक्शे के कोने पर विवेचक का नाम, केस संख्या, तिथि एवं समय को दर्शाते हुए हस्ताक्षरित करना चाहिए।

7. घटनास्थल की फोटोग्रॉफी –

- सभी भौतिक घटनास्थलों कि फोटोग्राफी, दस्तावेजीकरण का एक अहम हिस्सा है।
- फोटोग्राफी में 'शव' (यदि है) तो उसकी अवस्थिति, चोटों की स्थिति एवं हालत को दर्शाया जाना चाहिए।
- प्रत्येक साक्ष्य की फोटोग्राफी करते हुए पीड़ित के साथ उसके संबंध का उल्लेख करते हुए दर्शाया जाना चाहिए।
- साक्ष्यों के फोटोग्रॉफ सीधे और ऊपर की तरफ से लेना चाहिए।
- रक्त धब्बों के पैटर्न का स्केल की मदद से विभिन्न कोणों से फोटोग्रॉफ लेना चाहिए।
- घटनास्थल पर रक्त धब्बों के पैटर्न के आधार पर अपराध में प्रयुक्त हुए हथियार को अभिनिश्चित किए जाने का प्रयास करना चाहिए।

8. घटनास्थल के निरीक्षण के तरीके –

- विवेचनाधिकारी को घटनास्थल तक पहुँचने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, ताकि कोई भी साक्ष्य छूट ना पाये। इसके लिए निम्नाँकित विधियाँ अपनाई जा सकती हैं –

  01.**लाईन या पट्टी विधि** – बड़े घटनास्थल के निरीक्षण हेतु उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाएं और वापस लौटें (कदमों को गिनते हुए जाना सहायक होता है, इससे दूरी का लगभग सटीक अंदाज हो जाता है)। यह विधि बड़े और बाह्य घटनास्थल के लिए उपयोगी होती है।

  02.**ग्रिड विधि –** बहुत बड़े घटनास्थल जैसे – मैदान आदि के निरीक्षण के लिए यह विधि अपनाई जा सकती है, इसमें निरीक्षणकर्त्ता अधिकारीगण विपरीत छोर से आना जाना करते हुए दो बार निरीक्षण करते हैं, जिससे अवलोकन करना आसान हो जाता है।

  03.**गोलाकार या रे विधि –** छोटे और गोलाकार घटनास्थल के निरीक्षण हेतु इस विधि को अपनाना लाभदायक होता है।

इसमें निरीक्षणकर्त्ता केंद्र में इकट्ठे होकर बाहर की तरफ निरीक्षण शुरू करते हैं।

04.**कुंडली विधि** – यह विधि वहाँ बहुत उपयोगी है, जहाँ घटनास्थल में कोई भौतिक सीमांकन संबंधी बाधाएं ना हों। इसमें निरीक्षणकर्त्ता घटनासथल के केंद्र से शुरू करते हुए विपरीत दिशा में बढ़ते हैं।

05.**जोन विधि** – यह विधि बंद घटनास्थल जैसे – मकान आदि में अपनाई जाती है। इसमें क्षेत्र को वृत्ताकार अथवा वर्गाकार रूप से चार भागों में बांट कर उपरोक्त में से कोई एक विधि अपनाकर निरीक्षण किया जाता है।

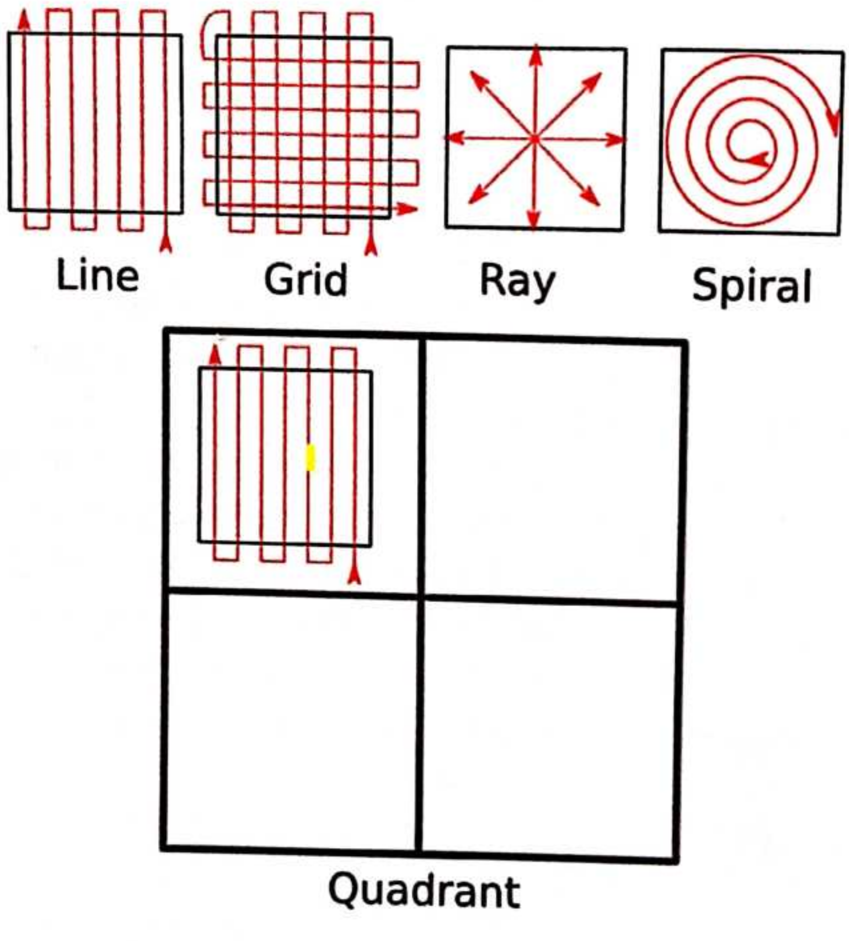

9. **जैविक साक्ष्यों का संरक्षण, पैकिंग एवं अग्रेषण –**

- घटनास्थल पर साक्ष्यों को चिन्हित कर उन्हें किसी पात्र (डब्बा आदि) में सुरक्षित करें।
- संकलन उपरांत साक्ष्य के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ ना करें।

- पेपर बैग/पेपर शीट/पेपर के बने लिफाफे पूरी तरह से सूखे होने चाहिए इससे साक्ष्य सुरक्षित रहेगा।
- साक्ष्य को कभी भी किसी मुद्रित कागज (Printed Paper) से संरक्षित ना करें, इससे यह दूषित हो सकता है।
- प्रत्येक सामान को पृथक–पृथक पैक करें और चिन्हित करें कभी भी एक से अधिक को एक साथ पैक ना करें।
- विवेचक द्वारा प्रत्येक प्रदर्श को **अपराध क्र. : धारा/तिथि/विवेचक का नाम/पद/थाना/जिला/राज्य** का उल्लेख करते हुए चिन्हित कर थाना की सील अंकित कर अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए।
- प्रदर्शों को नंबर देते हुए अग्रेषणकर्त्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- साक्ष्य के कवर पर प्रदर्श अवश्य अंकित किया जाये।
- एक प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्यों को संकलन उपरांत पुनः एक साथ एक पैकेट में अथवा कवर से सुरक्षित करें।
- शरीर के '**बाल**' (Hair Sample) को चिमटी की मदद से संकलित करें और पेपर बैग में सुरक्षित करें।
- सूखे रक्त को पेपर पर अथवा फिंगरप्रिंट टेप/सेलो टेप की मदद से संकलित किया जा सकता है। इसे फिल्टर पेपर, FTA Card को आसुत जल (Distilled Water) से गीला करके पोंछ कर संकलित किया जा सकता है।
- गीले धब्बों को रूई की मदद से उपरोक्तानुसार हवा में सुखा कर संकलित किया जा सकता है।
- यदि साक्ष्य को रक्त के क्लस्टर से एकत्र किया जाना है तो EDTA (एथिलीनडाईएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड) की शीशी में ड्रॉपर अथवा सिरिंज के उपयोग से करें साथ ही स्वैब को संक्रमण रहित फोम/रूई के ऊपर रखें।
- प्रदर्शों को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु जानकारी सहित निर्धारित (संलग्न) प्रोफार्मा में तैयार कर प्रेषित करें।
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैविक साक्ष्यों को खुले हाथों से कदापि ना छूएं।
- **Note :** जब तक परिस्थितियाँ विपरीत ना हों, गीले और आर्द्र जैविक साक्ष्य को 02 घंटे से अधिक किसी भी स्थिति में प्लास्टिक या पेपर से बने पात्र में न रखें। साक्ष्य को हवा से सुखाने उपरांत ही अंतिम रूप से पैक करें। धब्बा रूपी साक्ष्यों को कभी भी ऊष्मा से अथवा सूर्य की सीधी धूप में ना सुखाएं।

Crime Scene Investigation KIT के अनुप्रयोग हेतु अनुदेश –

- किट को छूने के पूर्व अपने हाथों को साफ और संक्रमण रहित करें।
- ग्लव्ज, मास्क, गाउन, जूते, कैप जैसे आवश्यक अवरोधक कपड़े पहनें।
- साक्ष्य सामग्री के पास छींकने और खांसने से बचें।
- शरीर के तरल पदार्थों को देखने और उनकी पहचान करने के लिए UV Lighter का प्रयोग करें।
- अर्द्ध शुष्क शारीरिक तरल पदार्थ के संकलन हेतु Swab/FTA Card/ Gauze Piece का उपयोग करें।
- पूराने सूखे धब्बों के संकलन हेतु उन्हें आर्द्र करने के PBS Buffer का उपयोग करें और कम से कम 05 मिनट तक सूखने के लिए रखें।
- धब्बों को संकलित करने हेतु FTA Card अथवा Foam SurfaceSwab का प्रयोग करें।
- पैकिंग के पहले धब्बों को प्राकृतिक हवा में सुखाना सुनिश्चित करें।
- जैविक साक्ष्यों के संकलन के लिए संदर्भित प्रक्रिया का पालन करें।

- **Finders Technology Associates (FTA) Cards -**

FTA Card एक ऐसा उपकरण है जो जैविक साक्ष्यों के DNA विश्लेषण हेतु उनका संग्रहण, कमरे के तापमान पर उनका संरक्षण और पैकिंग की प्रक्रिया की अनुमति प्रदान करता है।

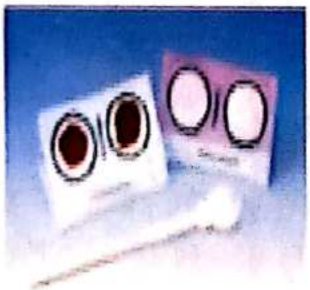

➢ **लाभ –**

- आसान संग्रहण
- कमरे के तापमान पर भंडारण एवं परिवहन की सुविधा
- सुरक्षित संचालन

➤ **FTA Cards Formats -**

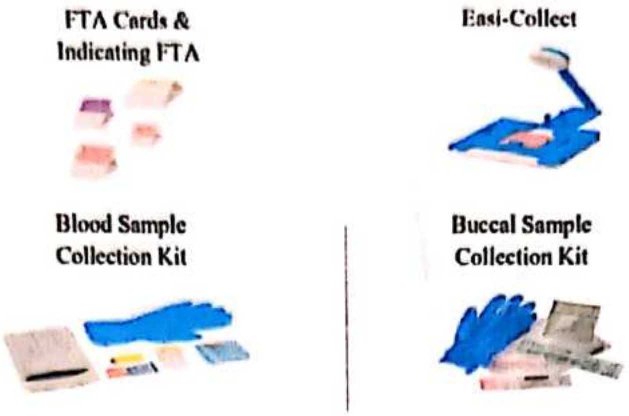

Kit Contents

- FTA Micro Card
- Peelable barcodes x2
- Return mailing envelope
- Multi-barrier pouch
- Nitrile-gloves -1 pair
- Temper evident tape to add to pouch or shipping container
- Alcohol wipe
- Band aid
- Dissicant packet

Kit Contents

Indicating FTA Micro Card x1
Peelabel barcodes x2
Sterile FoamTipped Applicator x1
Return mailing envelope
Multi-barrier pouch
Temper evident tape to addpouch or pouch or shipping container
Dissicant

- **Whatman FTA Cards Blood Collection Kit से रक्त संग्रहण हेतु निर्देश –**
  - पैकेज सामग्री को साफ और सूखी मेज या किसी सतह पर रखें।

  - मुद्रित स्थान को दर्शाने के लिए दस्ताने पहने और FTA Card के फ्लैप को सुरक्षित तरीके से खोलें।
  - अंगुली को सही तरीके से साफ करने के लिए एल्कोहल वाइप्स का प्रयोग करें।

- अंगुली के जिस हिस्से को एल्कोहल से साफ किया गया था, उससे लैंसेट को पकड़ें और ट्रिगर को दबायें।
- मुद्रित स्थान (घेरे) में बूंद को गिराने के लिए कार्ड को छूये बगैर अंगुली से दबायें।

- बहुत ज्यादा संतृप्त ना करें, क्योंकि रक्तसे बहुत अधिक संतृप्त किए हुए कार्ड से डी.एन.ए. को पुर्नप्राप्त नहीं किया जा सकता।
- कमरे के सामान्य तापमान पर कार्ड को पूरी तरह से 1-2 घंटे तक सुखायें। FTA कार्ड के कवर को बंद कर सुरक्षित करें और अवशोषक पैकेट को Multi Barrier Pouch में डालें।

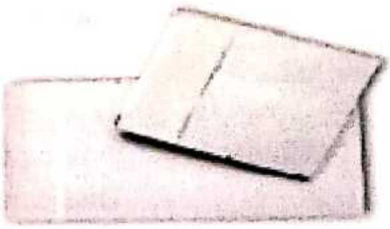

- Multi Barrier Pouch को डाक वाले लिफाफे में डालें।

- **Whatman FTA Card Blood Collection Kit से Buccal Cell (मुहं के स्वैब) को संग्रहण हेतु निर्देश –**
  - FTA कार्ड को साफ, सूखी और सपाट सतह पर रखें।

o Tipped Applicator से एक (Sterile Foam) जीवाणु रहित निकालें।

o Applicator को प्लास्टिक के हत्थे की जगह से पकडें और इसे मुंह में डालें।

o Applicator को एक गाल के अंदर तरफ 30 सेकेण्ड तक घुमायें ताकि यह अधिकाधिक लार को सोख सके। यही प्रक्रिया Applicator के दूसरी ओर से दूसरे गाल तरफ दोहरायें।

o गुलाबी नमूना क्षेत्र (Pink Sample Area) को उजागर करने के लिए Indicating FTA कार्ड के कवर को सावधानीपूर्वक उठायें।

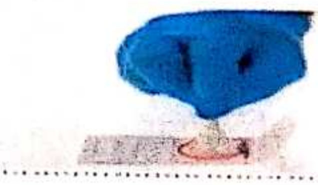

o Foam Applicator पद दबाव डालते हुए तीन बार एक तरफ से Rock करें।

o Applicator को बदलकर नमूना घेरे में दूसरी तरफ ऐसे ही दोहरायें।

o नमूना क्षेत्र का रंग बदलकर सफेद हो जाएगा, जोकि नमूना के हस्तांतरण का संकेत है।

o पेपर कवर के साथ नमूना क्षेत्र को चित्र में दर्शायेनुसार स्थित करें और कमरे के तापमान पर उसे पूरी तरह सूखने दें।

o Indicating FTA कार्ड के सूखने उपरांत इसे अवशोषक पैकेट के साथ Multi Barrier Pouch में रखें।

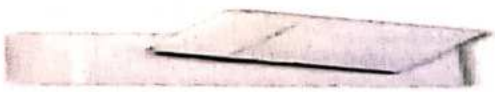

- **Procedure for collection and preservation of biological evidences by IOs**

नमूना	स्थिति	स्थान	संकलन, संरक्षण एवं पैकेजिंग के तरीके	परिवहन का तरीका	सावधानियाँ
रक्त	तरल अवस्था में	घटनास्थल	सिरिंज अथवा ड्रॉपर के माध्यम् से EDTA Tubeमें संकलित करें अथवा Gauze Piece/FTA Card पर स्थानांतरित कर हवा में सुखा कर कागज के पैकेट या लिफाफे में रखें।	संकलन उपरांत 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से प्रयोगशाला भिजवाना सुनिश्चित करें। तरल रक्त को अनिवार्य रूप से ऊष्मातापी या थर्मोकोल के डिब्बे में चारों तरफ बर्फ के साथ पैक करें	रक्त को EDTA Tube में डिस्पोजेबल सिरिंज से संकलित करें
	ताजा/ गीले थक्के	घटनास्थल	थक्के को विसंक्रमित ट्यूब में संकलित करें और उसमें बराबर मात्रा में साधारण नमक/PBS (डी.एन.ए. के संदर्भ में PBS उपयुक्त है) का घोल डालें अथवा Gauze Piece/FTA Card पर स्थानांतरित कर हवा में सूखा कर कागज के पैकेट या अवशोषक लिफाफे में रखें।		
	आर्द्र/नम	घटनास्थल से पीड़िता के कपड़ों को/ आरोपी के पहने कपड़ों से	कमरे के तापमान पर हवा में सुखायें फिर साफ सादा कागज में लपेटकर पेपर बैग/लिफाफा या कपड़े के बैग में पैक करें।	बिना किसी देरी के यथाशीघ्र प्रयोगशाला में भिजवायें।	यथा संभव छोटे कपड़ों को लें। कभी भी सूरज की सीधी धूप अथवा गर्म हवा याहीटर की मददन सुखायें।

			पीड़िता / आरोपी अथवा मृत्तक के कपड़ों को अलग करें।		गीले या सूखे कपड़ों को हवाबंद डिब्बे या पॉलिथीन बैग में न रखें।
	गीला	किसी भी वस्तु पर से	कमरे के तापमान पर सीधे हवा में सुखाकर वस्तु को ज्यों का त्यों स्थितिनुसार श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर तद्नुसार कागज, गत्ते के बॉक्स में पैक करें ।		गीले या सूखे कपड़ों को हवाबंद डिब्बे या पॉलिथीन बैग में रखें । धब्बों के पैटर्न को मिटाने से पहले स्केचिंग, विडियोग्रॉफी, फोटोग्रॉफी कर दस्तावेजीकरण अवश्य करें।
सूखे रक्त, वीर्य, वमन, लार अथवा शरीर के सूखे तरल के अन्य धब्बे	पपड़ी, छींटे अथवा धब्बे	घटनास्थल, स्थावर जगह, फर्श या कांक्रीट की दीवार आदि	5-10 मिनट तक PBS/ आसुत जल से तर करें और रूई / FTA Card/Gauze Piece की मदद से संकलित करें और सूखे हुए स्वैब को को कागज के लिफाफे में पैक करें।	बगैर विलंब के अनिवार्यतः प्रयोगशाला भिजवायें ।	कभी भी धब्बों को ना खुरचें। अलग–अलग जगहों के धब्बों को पृथक–पृथक पैकेट या लिफाफों में पैक करें। एक ही कपड़े से अलग–अलग जगहों से स्वैब को संकलित ना करें।
	धब्बे	हथियार, आग्नेयास्त्र, बुलेट, छोटे घरेलू बर्तन, पत्थर, ईंट इत्यादि	धब्बों को सूखने दें। वस्तु को सीधे संकलित कर गत्ते के बोर्ड या परिवहन बक्से में पैक कर मुहर लगायें और साक्ष्य टेप से पैक करें।	बगैर विलंब के अनिवार्यतः प्रयोगशाला भिजवायें	स्वैब्स को अलग–अलग स्थानों से पृथक–पृथक पैक करें। छांव में सुखाकर अलग–अलग पैकेट/ लिफाफा में पैक करें। कभी भी सूरज

	धब्बे	वाहन के कालीन, भित्ति चित्र, लकड़ी इत्यादि	धब्बा वाले स्थान को काटकर अलग करें और इसे छांव में सुखने दें। प्रत्येक कटिंग को अलग पैक करें। धब्बा वाली जगह के पास से ही बगैर धब्बे वाले स्थान को भी काटकर अलग से पैक करें।	बगैर विलंब के अनिवार्यतः प्रयोगशाला भिजवायें	की सीधी धूप, गर्म हवा, हीटर की मदद से ना सुखायें। कभी भी आग्नेयास्त्र को लोडेड स्थिति में अग्रेषित ना करें। गोली/पैलेट को घर्षण से बचाने के लिए गद्देदार स्थिति में अलग–अलग, कागज के लिफाफा में अथवा स्टेराइल ग्लास के जार में पैक करने को प्राथमिकता दी जाये।
वीर्य	तरलावस्था में	वस्तु या घटनास्थल	नमूने को Gauze Piece/ कॉटन स्वैब/सरफेस स्वैब की मदद से संकलित करें और हवा में सुखाकर कागज के लिफाफा में पैक करें।	बगैर विलंब के अनिवार्यतः प्रयोगशाला भिजवायें।	
ऊतक, अंग, भ्रूण	आर्द्र/अर्द्ध शुष्क	बरामदगी स्थल से कटेफटे अवषेश	DNA परीक्षण के लिए ऊतक/अंग को तत्काल बिना किसी परिरक्षण के शीतावस्था में प्लास्टिक के साफ डब्बे में रखकर संरक्षित करें। जहरखुरानी और	स्कलन उपरांत बगैर अनावश्यक विलंब के अनिवार्यतः 24घंटे के अंदर प्रयोगशाला भिजवायें। परिवहन हेतु कंटेनर को	नमूने को अलग से पैक किया जाये। कभी भी कोई परिरक्षक जैसे फर्मेलिन का उपयोग न करें। प्रयोगशाला भेजने अथवा परिवहन हेतु विलंब होना

			औषधी परीक्षण के लिए सांद्र के घोल से परिरक्षित करें।	थर्मोकोल के बक्से में बर्फ के टुकड़ों के साथ या टीकाकरण वाले बॉक्स में रखा जाये।	प्रतीत हो तो नमूने को फ्रीज में रखा जाये। भ्रूण को टीकाकरण वाले बॉक्स में रखा जाये।
हड्डी, दाँत	आर्द्र/अर्द्ध शुष्क/ शुष्क	घटनास्थल, बरादमगी स्थल से	किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने के लिए हड्डी और दाँत को धोकर साफ करें और इसे हवा में सुखायें। सादा कागज में लपेटकर कपड़ें में या गत्ते के बॉक्स में पैक कर शील लगायें।	बगैर विलंब के अनिवार्यतः प्रयोगशाला भिजवायें	किसी तरह के परिरक्षक जैसे फर्मेलिन आदि का प्रयोग न करें। निम्न वरीयतानुसार पूर्ण हड्डियों को ही भेजें – जाँघ फीमर, पिंडली टिबिया, बाँह ह्यूमरस, दाढ़ मोलर, पसलियाँ रिब्स। पूर्णरूपेण जली हड्डी DNA परीक्षण के अनुपयुक्त होती है।
जड़ सहित बाल	सूखे या आर्द्र रक्त, वीर्य अथवा लार सहित	घटनास्थल, हथियार, कपड़े	चिमटी की सहायता से सफेद पेपर अथवा बटर पेपर में रखें और कागज के लिफाफे में पैक करें। यदि इन पर रक्त लगा है या किसी हथियार इत्यादि पर हैं, तो इन्हें उससे हटायें नहीं। खंडित की बनिस्बत जड़ सहित बालों को पैक करना चाहिए। यदि वस्तु छोटी है तो उसे चिन्हित कर वस्तु सहित ब्राउन पेपर में लपेटकर सूती कपड़े से पैक करें और संदर्भ हेतु पीड़ित/आरोपी के 50-100 बाल संकलित कर भिजवायें।	बगैर विलंब के अनिवार्यतः प्रयोगशाला भिजवायें।	यदि बाल गीले हैं तो इन्हें छांव में सुखायें। बरामद हुए बालों को कभी ना धोयें।

चेन–ऑफ–कस्टडी को बरकार रखना –

- यह सबूतों के क्रम को बनाये रखने और उनका दस्तावेजीकरण करने में उपयोगी है।
- साक्ष्य संकलित किसके द्वारा किया गया है और बाद में किसी व्यक्ति अथवा संस्था की अभिरक्षा में सौंपा गया है, की जानकारी तिथि, आरोपी अथवा संदेही के नाम और संक्षिप्त विवरण व प्रकरण संख्या सहित तमाम जानकारियों के संदर्भ में 'चेन–ऑफ–कस्टडी' को बरकार रखते हुए इसका दस्तावेजीकरण करें।

Crime Scene Investigation Kit -

जैविक साक्ष्यों के संकलन हेतु क्राईम सीन इन्वेस्टीगेशन किट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संघटक होते है –

उच्च रिजॉल्यूशन वाला डिजिटल कैमरा	
डिस्पोजेबल गाउन, टोपी, जूते, दस्ताने, मास्क, चश्मा, तौलिया, संक्रमण रहित पॉलिथीन बैग (जैविकीय अपशिष्ट के लिए)	
एल्कोहल स्वैब और कपड़ा, हैंड सैनिटाईजर	
साक्ष्य को चिन्हित करने अंक, अक्षर चिन्ह	
हैन्डटॉर्च और मैग्नीफाईंग ग्लास	

चीर–फाड करने वाले उपकरण जैसे – ब्लेड, चिमटी, कैंची, ड्रॉपर और सिरिंज	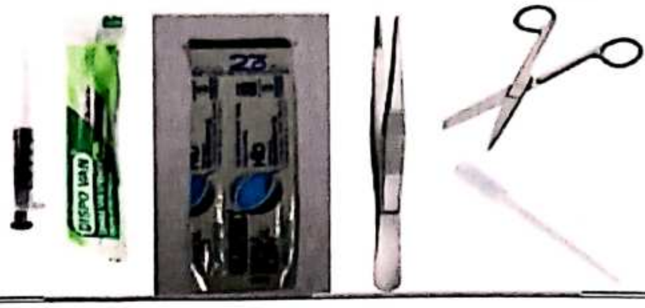
स्टेराइल वाटर, सेलाइन वॉटर, फॉस्फेट बफर	
EDTA शीशियाँ और FTA Cards	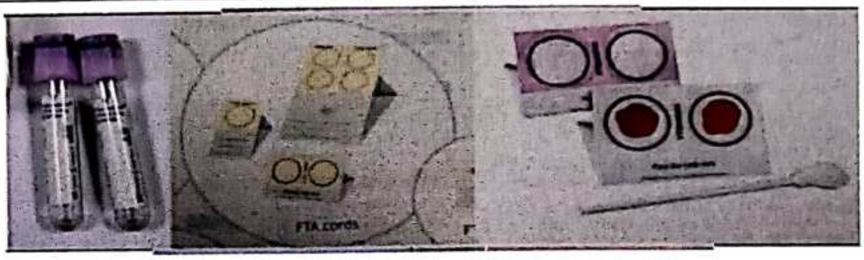
कॉटन स्वैब, सरफेस स्वैब और प्लास्टिक कंटेनर	
साक्ष्य संरक्षण हेतु का बॉक्स और लिफाफा	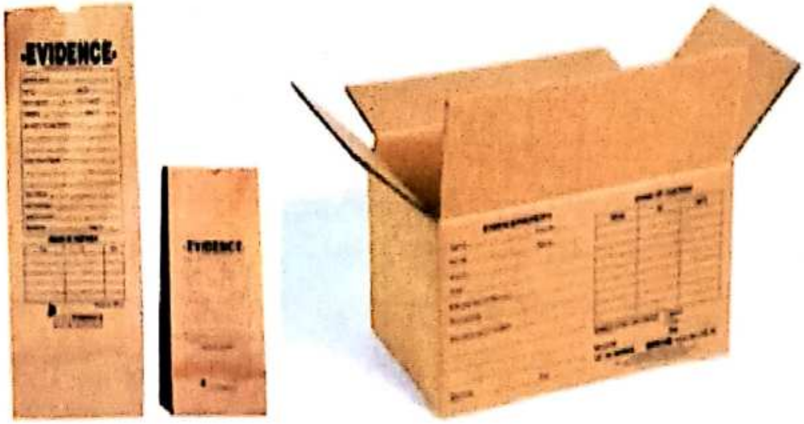

Requirements for a case to be submitted in DNA Divison, FSL, Chhattisgarh

➡ डी.एन.ए. परीक्षण कराने हेतुनिम्न दिशा–निर्देशों का दृढ़ता से पालन करते हुए प्रकरणों को परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाये।

आवश्यक दस्तावेज

- पुलिस अधीक्षक मेमो की मूल प्रति भेजी जावे, जो कि स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- प्राधिकार पत्र (परिशिष्ट–1) (पु.अ. द्वारा संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर को डी.एन.ए. परीक्षण हेतु संबंधित प्रदर्शों को काट–छांट हेतु अधिकृत करने बाबत्) पुलिस अधीक्षक द्वारा ही हस्ताक्षरित होकर डी.पी.ओ. क्रमांक व दिनाँक सहित होना अनिवार्य है।
- पु.अ. मेमो के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- एफ.आई.आर. / मर्ग इंटीमेशन, जप्ती–पत्रक, मुलाहिजा पत्रक / पी.एम. रिपोर्ट, सहमति पत्र व अन्य दस्तावेज थाना प्रभारी द्वारा सत्यापित किए जायें।
- यदि आरोपी न्यायालयीन अभिरक्षा मे हो तो उसका डी.एन.ए. परीक्षण हेतु रक्त नमूना संकलित करने का लेख करते हुए न्यायालयिक मजिस्ट्रेट से अनुमति पत्र प्राप्त कर मूल प्रति भिजवाएं।
- पीड़िता एवं उसके बच्चे (जो स्वतंत्र हैं) का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु रक्त नमूना संकलित करने का लेख करते हुए कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अनुमति पत्र प्राप्त कर मूल प्रति भिजवाएं।
- यदि गर्भपात से भ्रूण प्राप्त किया गया हो तो भ्रूण का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु न्यायालयिक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अनुमति पत्र प्राप्त कर मूल प्रति भिजवाएं।
- यदि शव उत्खनित किया गया हो तो उत्खनन से प्राप्त हड्डियों से डी.एन.ए. परीक्षण हेतु न्यायालयिक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अनुमति पत्र प्राप्त कर मूल प्रति भिजवाएं।
- अनुमति पत्र (रक्तदाता न्यायिक अभिरक्षा में हो तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का अन्यथा कार्यकारी मजिस्ट्रेट का) की मूलप्रति संलग्न करें।
- सहमति पत्र में आरोपी एवं प्रार्थिया पक्ष के एक–एक (कुल दो) गवाहों के हस्ताक्षर, नाम, पता लिखवाएं। सहमति पत्र में विवेचना अधिकारी के हस्ताक्षर सील सहित करवाएं।

- आईडेन्टिफिकेशन फॉर्म (परिशिष्ट–2) में समस्त कॉलम भर कर, फोटो डॉक्टर द्वारा सत्यापित कर, डॉक्टर का हस्ताक्षर (दिनाँक सहित) व मुहर लगवायें। गवाह एक में विवेचना अधिकारी के सील एवं हस्ताक्षर (दिनाँक सहित), गवाह दो एवं तीन में पक्ष–विपक्ष के एक–एक जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर, नाम, पता व दिनाँक सहित होना अनिवार्य है। यदि रक्तदाता नाबालिग हो, तो आईडेन्टीफिकेशन फॉर्म के "Declaration" भाग में अभिभावक/संरक्षक का नाम लिखवाए एवं उन्हीं के हस्ताक्षर करवाएं।
- यदि पीड़िता/अपचारी नाबालिग हो, तो सहमति पत्र एवं आईडेन्टीफिकेशन फॉर्म में अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- आरक्षकों को प्रदर्श संकलन में गवाह न बनायें। गवाहों के हस्ताक्षर के आगे उनका पूरा नाम एवं पता स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
- पु.अ. मेमो के अनुसार भेजे गये प्रदर्शों पर अंकित जानकारी का पूर्ण विवरण से सही मिलान कर भेजा जावे एवं प्रदर्शों के लेबल पर्ची में जप्ती दिनाँक व आई.ओ. के हस्ताक्षर होने चाहिएं।
- प्रदर्शों पर लगे चपड़ा सील का सील नमूना जिस पर **थाना, जिला, अप. क्र. व धारा** अंकित हो, को सत्यापित कर भेजें।
- कभी कभी प्रकरणों में संलग्न प्रपत्र पूर्ण नहीं होते हैं। निर्देशन प्रपत्र में (नोट में) स्पष्ट लिखा है, कि विवेचनाधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी (TI/SI/ASI) को ही प्रकरण लेकर भेजा जावे, ताकि छोटी–छोटी त्रुटियों को यथासंभव मौके पर तुरन्त सुधार कर प्रदर्शों को जमा किया जा सके। प्रायः देखा गया है कि इसका पालन न करते आरक्षक के साथ प्रकरणों को चालान पेश करने की तिथि के कुछ दिन पूर्व ही भेजा जाता है, जो उचित नहीं है।
- रिपोर्ट संकलन हेतु आने वाले आरक्षक/जिम्मेदार कर्मचारी अपने साथ प्रदर्श साथ में ले जाने हेतु वेक्सीनेशन बॉक्स/थर्मस साथ लावें।
- अतिसंवेदनशील प्रकरण (12 वर्ष से कम उम्र के लैगिंक अपराध धारा 376 के प्रकरणों, पॉक्सो एक्ट, रेप व हत्या) से संबंधित प्रकरणों को डी.एन.ए. परीक्षण कराने हेतु रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम् से सीधे डी.एन.ए. शाखा में प्रेषित करें।
- कुटुम्ब व सिविल न्यायालय से संबंधित डी.एन.ए. प्रकरण की राशि चालान के माध्यम् से अन्य पुलिस प्रतियों के लेखा शीर्ष मद 0055, पुलिस 800 अन्य प्राप्तियों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें एवं चालान की मूलप्रति दस्तावेजों के साथ संलग्न कर भिजवायें। रक्त नमूना वादी/प्रतिवादी के हस्ते न भिजवायें।

परिशिष्ट 1

प्राधिकार पत्र का प्रारूप

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जिला.................
जावक कमांक................................ दिनांक.........................

प्राधिकार पत्र

थाना................... के अप.क.................धारा...................से संबंधित भेजे जा रहे प्रदर्शों को डी.एन.ए. परीक्षण हेतु काट–छांट करने एवं उपयोग करने हेतु संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगषाला, रायपुर (छ.ग.) को अधिकृत किया जाता है।

पु.अ. के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट–2
आईडेन्टीफिकेशन फॉर्म

DNA UNIT
SFSL RAIPUR

State Forensic Science Laboratory

Govt. of C.G.
DNA UNIT
Police line Campus, Tikrapara, Raipur- 492001 (C.G.)
Phone: 0771-4069791, 0771-4014343 Fax. 0771-4069791

Affix recent passport size Photograph of the Source
(Photo should be Attested by the Doctor)

IDENTIFICATION FORM

(In Duplicate)
[Strike out whichever is not applicable]

Name (In Block Capital letters) : ....
Father's/Guardian's/Husband's Name : ....
Date of Birth : ....
Age : ...... Years ....Months Sex: M / F....
Caste & Sub Caste : ....
Native place (Origin) : ....
Address : ....
....
.......................Pin.......................

Description of Sample : Blood/Blood Stain/Semen Stain/bones/Hair / Swab/Any other ....(Please Specify)

Purpose for Conducting Test : ....

Medical History :
Normal......................... Chronic disease...................... , Genetic Disorder..................
Blood Transfusion (if any, past 03 months) ....
Organ Transplantation (if any)..
Supdt. of Police (Any other please Specify) : ....
Case/ Crime/ Marg No. .... PS-.............................. U/S ....
.... Date of sample collection:-...................Sample Volume:- ....
Blood Sample collected by : ....
....

DECLARATION BY DONOR/GUARDIAN

I / We .... Son/Daughter/Wife/Under guardianship of Shri/Smt .... hereby declare that the blood given to SFSL, RAIPUR for DNA fingerprinting, is of mine/ is of my/ of our child and I/ it did not receive a blood transfusion within last 03 months.

Left thumb of Donor	Right thumb of Donor

....
(Signature or Thumb impression)

The .... is/was collected by me in the presence of the following witnesses :
[Specify sample with quantity]

Sample (Chapda) Seal

....
(Signature and Seal of Medical Officer)

Name and Signature of Witnesses: - Collection of Biological sample should preferably be in the presence of 02 witnesses.

Witness 1:(I.O.)
(Investigation Officer)

Signature : ....
Name : ....
Designation : ....
Address : ....
Date : ....

Witness 2:
(Preferably a respectable person of society Opposite in party in Paternity Sexual assault cases)

Signature : ....
Name : ....
Designation : ....
Address : ....
Date : ....

Witness 3:
(Preferably a respectable person of society Opposite in party in Paternity Sexual assault cases)

Signature : ....
Name : ....
Designation : ....
Address : ....
Date : ....

1. रक्त (संकलन एवं संग्रहण) –

- रक्त भेजने हेतु वर्तमान में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर में ताजा द्रव रक्त से परीक्षण किया जा रहा है, अतः दो एम.एल. (2ml) वयस्क से एवं शिशु से एक एम.एल. (1ml) रक्त सेम्पल को ई.डी.टी.ए. वॉयल में प्रत्येक व्यक्ति का पृथक–पृथक सुरक्षित करें। रक्त को ई.डी.टी.ए. वॉयल में उचित तरीके से मिलायें।

- ई.डी.टी.ए. वॉयल में रक्त दाता का नाम, संकलन दिनांक एवं डॉ. का हस्ताक्षर अवश्य करवायें ।

ई.डी.टी.ए. वॉयल

ई.डी.टी.ए. वॉयल का संग्रहण

- ई.डी.टी.ए. वॉयल को न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/डॉक्टर के चपड़ा शील से शीलबंद करें। संग्रहित वॉयल पर डॉक्टर एवं थाना की पर्ची, जानकारी सहित अंकित करें एवं संग्रहण दिनाँक का उल्लेख अवश्य करें। प्रत्येक वॉयल को जिप लॉक पॉलीथीन में पृथक–पृथक रखें, तथा सभी वॉयल को बर्फ युक्त थर्मस/वेक्सीनेशन बॉक्स में रखें, थर्मस को शीलबंद न करें, ताकि बर्फ पिघल जाने पर बर्फ बदला जा सके। प्रदर्शों को यथाशीघ्र राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर पहुंचाने हेतु सुनिश्चित करें।

- ई.डी.टी.ए. वॉयल में रक्त दाता का नाम, संकलन दिनांक एवं डॉक्टर के हस्ताक्षर अवश्य करवायें।
- रक्त सैम्पल एकत्रित करते समय डिस्पॉजेबल सामग्री सिरिंज, ग्लब्स, कॉटन आदि का पृथक–पृथक सैम्पल के लिए पृथक–पृथक उपयोग करें।
- रक्त एकत्रीकरण अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है। प्रशिक्षण के अभाव में या मानवीय गलतियों की ज्यादा संभावनाओं के कारण परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए यह संस्थान वर्तमान में इसकी सलाह नहीं देता है, कि डी.एन.ए. परीक्षण हेतु तरल रक्त को प्रिजर्व करने हेतु EDTA के अतिरिक्त किसी भी अन्य Preservative का प्रयोग न करें।
- रक्त नमूना 24 घंटे के भीतर व अन्य प्रदर्शों को 15 दिवस के अन्दर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर में जमा करना सुनिश्चित करें।
- रक्त एकत्रीकरण भी दिए गए निर्देशानुसार नहीं हो रहे हैं। कभी–कभी ट्यूब में रक्त जम (थक्का) जाता है। अतः रक्त को हमेशा ई.डी.टी.ए. वॉयल में प्रशीत तापक्रम में रखकर 24 घंटे के अन्दर भेजा जाना चाहिए।
- पीड़िता का Blood transfusion किये जाने की स्थिति में Blood transfusion के तीन माह बाद रक्त संकलित किया जावे।
- रक्त नमूना संकलित करने हेतु एफ.टी.ए. कार्ड का उपयोग सावधानी पूर्वक करें एवं पृथक–पृथक सेम्पल को पृथक–पृथक कार्ड में संकलित करावें।

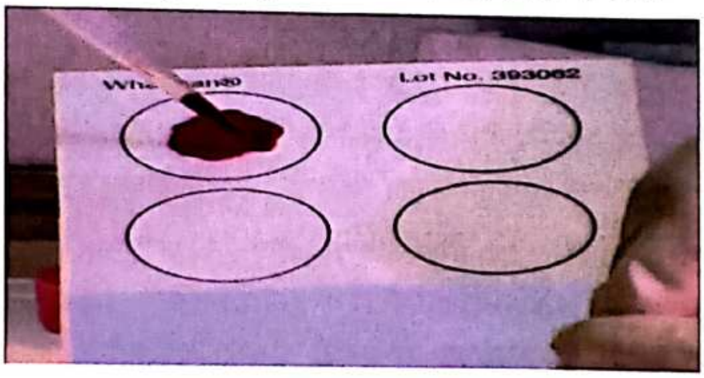

एफ.टी.ए. कार्ड

- घटनास्थल तथा कपड़ों पर मिले शारीरिक द्रव (रक्त, वीर्य, लार इत्यादि) को गीला होने पर सुखाने हेतु इलेक्ट्रिक ड्रायर का उपयोग न करें और न ही सीधे सूर्य के प्रकाश में सुखायें। कमरे के सामान्य तापक्रम पर सुखाकर कागज में लपेटकर सीलबंद कर भेजें, पॉलिथीन का उपयोग ना करें। (एक से अधिक कपड़े होने पर कपड़ों को पृथक–पृथक सीलबंद कर भेंजे)
- मृत्तक/मृत्तिका का पी.एम. के दौरान चिकित्सक द्वारा सादा रूई/गॉज पीस में हार्ट सोक्ड रक्त अच्छे से सुखाकर संग्रहित करें।

2. वीर्य (संकलन एवं संग्रहण) –

- वेजाईनल स्लाईड एवं वेजाईनल स्वैब (अच्छे से सुखाकर, ताकि फंगस न लगे) को पृथक–पृथक सीलबंद कर भेजें।
- संग्रहित स्लाईड के पैकेट पर डॉक्टर की पर्ची, थाना की जानकारी सहित अंकित करें एवं संग्रहण दिनांक का उल्लेख अवश्य करें।
- वीर्य संबंधित प्रकरणों में सर्वप्रथम वीर्य एवं शुक्राणु का परीक्षण बायोलॉजी शाखा से करावें, तत्पश्चात् आवश्यक होने पर ही डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजा जावे। पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों को सीधे डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है।

Unstained

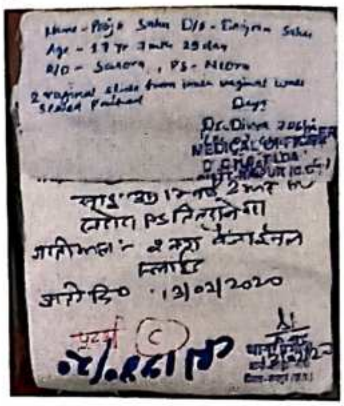

3.भ्रूण एवं ऊतक (संकलन एवं संग्रहण) –

- यदि भ्रूण से डी.एन.ए. परीक्षण कराया जाना हो तो, भ्रूण यदि ताजा हो तो, सम्पूर्ण भ्रूण को नॉर्मल सलाईन घोल में प्रिजर्व कर भेजा जावे । यदि भ्रूण में हड्डी निर्मित हो गई हो एवं भ्रूण पुराना प्रिजर्व होने से मांस गल गया हो तो, साबुत हड्डी को डॉक्टर से निकलवाकर सुखाकर, कागज में सीलबंद कर भेजें ।
- ऊतक एवं फीटस को सुरक्षित करने के लिए फॉर्मलीन विलियन का कदापि प्रयोग न करें। फॉर्मलीन में संरक्षित सैम्पल से डी.एन.ए. प्रोफाईल प्राप्त होने की संभावना नगण्य होती है। इन्हें हमेशा नॉर्मल सलाईन (दवा की दुकान में उपलब्ध) में संरक्षित करें एवं प्रशीत तापक्रम पर प्रयोगशाला भेजें।
- गर्भ समापन हेतु उच्च न्यायालय के आदेश पर किये गये Termination of Pregnancy से संबंधित प्रकरण के प्रदर्श समस्त दस्तावेजों के साथ अपराध पंजीबद्ध होने पर पुलिस अधीक्षक अथवा सिविल न्यायालय के प्रकरण होने पर न्यायालय के माध्यम् से प्रदर्श जमा की जावेगी, जिसका डी.एन.ए. परीक्षण कराना आवश्यक हो। केवल संग्रहण हेतु कोई भी प्रोडक्ट (एम.टी.पी.) जमा नहीं किया जावेगा।

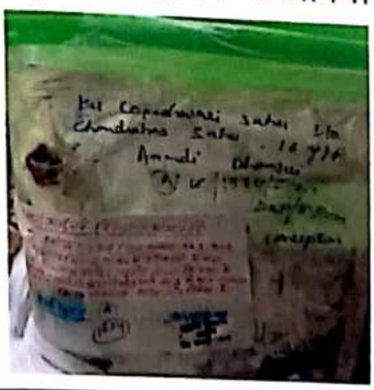

4.हड्डी (संकलन एवं संग्रहण) –

- हड्डी को अच्छी तरह साफ एवं कमरे के तापमान पर सुखाकर भेजें।
- हड्डी की पैकिंग में पॉलीथीन का उपयोग न करे, सिर्फ कागज के आवरण से सीलबंद कर भेजें।
- हड्डियों से डी.एन.ए. परीक्षण कराना हो तो, शरीर की लम्बी हड्डी (हाथ अथवा पैर) को साबुत एकत्रित करें एवं दाढ़ की दांत को जड़ सहित एकत्रित करें।
- जले हुए प्रदर्शों एवं हड्डी में डी.एन.ए. प्रोफाईल आने की संभावना नगण्य रहती है। अतः ऐसे प्रदर्श को जमा कराने के पूर्व परीक्षण हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं है, डी.एन.ए. शाखा से राय ली जा सकती है।

5. बाल, नाखून एवं लार (संकलन एवं संग्रहण) –

- बालों से डी.एन.ए. परीक्षण के लिए जड़ सहित बाल जप्त करें।
- घटनास्थल से प्राप्त मृत्तक/मृत्तिका/आरोपी के बाल के नमूनों को साफ कागज में पैक एवं सीलबंद कर भेजें।
- घटनास्थल से प्राप्त मृत्तक/मृत्तिका/आरोपी के नाखून के नमूनों को साफ कागज में पैक एवं सीलबंद कर भेजें।
- घटनास्थल से प्राप्त मृत्तक/मृत्तिका/आरोपी के लार के नमूनों को कमरे के तापमान में सुखाकर साफ कागज में पैक एवं सीलबंद कर भेजें।

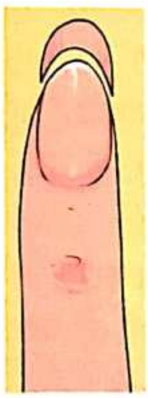

क्यूरी इस प्रकार से करें –

1) In case of Paternity :

- क्या प्रदर्श ——— (पीड़िता का रक्त नमूना) एवं प्रदर्श ——— (आरोपी का रक्त नमूना), प्रदर्श ——— (बच्चे का रक्त नमूना/भ्रूण/मृत शिशु की हड्डी) के जैविक माता–पिता है? अथवा
- क्या प्रदर्श ——— (बच्चे का रक्त नमूना/भ्रूण/मृत शिशु की हड्डी), प्रदर्श ——— (पीड़िता का रक्त नमूना) एवं प्रदर्श ——— (आरोपी का रक्त नमूना) की जैविक संतान है?

2) In case of Sexual Assault:

- क्या प्रदर्श ——— (पीड़िता का स्लाईड/स्वाब/कपड़ा) में पुरुष डी.एन.ए. उपस्थित है? यदि हाँ, तो क्या प्रदर्श ——— (पीड़िता का स्लाईड/स्वाब/कपड़ा) से प्राप्त पुरुष डी.एन.ए. प्रोफाईल, प्रदर्श ——— (आरोपी का रक्त नमूना/बाल/कपड़ा) से प्राप्त पुरुष डी.एन.ए. प्रोफाईल के समान है।

3) Unknown Dead Body:

- क्या प्रदर्श ——— (माता का रक्त नमूना) एवं प्रदर्श ——— (पिता का रक्त नमूना), प्रदर्श ——— (शव की हड्डी/बाल/ऊतक/दांत) के जैविक माता–पिता है?

4) Murder

a) घटनास्थल में आरोपी से संबंधित प्रदर्शों की प्राप्ति की स्थिति में –

- क्या प्रदर्श ——— (घटनास्थल से प्राप्त प्रदर्श बाल/वीर्य/कपड़ा/लार/खून आदि) से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल, प्रदर्श ——— (आरोपी का रक्त नमूना) से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल के समान है।

b) घटनास्थल में मृतक से संबंधित प्रदर्शों की प्राप्ति एवं आरोपी से जप्त प्रदर्शों की प्राप्ति की स्थिति में–

- क्या प्रदर्श ——— (घटनास्थल से प्राप्त प्रदर्श बाल/वीर्य/कपड़ा/लार/खून आदि) से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल, प्रदर्श ——— (मृतक की हड्डी) से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल के समान है।
- क्या प्रदर्श ——— (घटनास्थंल से प्राप्त प्रदर्श बाल/वीर्य/कपड़ा/लार/खून आदि) से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल, प्रदर्श ——— (आरोपी से जप्त प्रदर्शों) से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल के समान है।
- क्या प्रदर्श ———(घटनास्थल से प्राप्त प्रदर्श बाल/वीर्य/कपड़ा/लार/खून आदि) से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल एवं

प्रदर्श ----- (आरोपी से जप्त प्रदर्शों) से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल, प्रदर्श ----- (मृतक की हड्डी) से प्राप्त डी.एन.ए. प्रोफाईल के समान है।

नोट –

1. डी.एन.ए. के प्रदर्शों को जमा करने हेतु किसी जिम्मेदार आई.ओ. स्तर के अधिकारी को भेजा जावे, ताकि त्रुटि होने पर सुधार कर समय पर प्रदर्श जमा किए जा सकें।

2.COVID-19 के कारण दिए गए सावधानियों का पालन करते हुए डी.एन.ए. एवं बायोलॉजी के सभी प्रदर्शों के केवल पैकेट के बाहरी आवरण को ही से सैनिटाईज करके भेजा जावे। प्रदर्शों के स्टरलाईजेशन/सैनिटाईजेशन के लिए किसी तरह के यू.व्ही. प्रकाश/किरणों (UV Light) का उपयोग न किया जावे।